



# म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL  
Government of Madhya Pradesh

क्र.

3481 / शुल्क / म.प्र.नि.वि.वि.आयोग / 2025

दिनांक 11.12.25

## आदेश

प्रति,

कुलसचिव,  
सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय  
भोपाल (म.प्र.)

विषय- शैक्षणिक सत्र वर्ष 2025-26 में संचालित पाठ्यक्रमों की शुल्क समीक्षा।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 36(10)(ख) एवं (ड) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में वर्ष 2025-26 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित प्राप्त शुल्क समीक्षा प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा शिक्षा की लागत के आधार पर समीक्षा की गई है। आयोग द्वारा गठित शुल्क समीक्षा समिति की बैठक दिनांक 28.11.2025 में की गयी अनुशांसा के परिप्रेक्ष्य में एवं आयोग की 198वीं सभा बैठक दिनांक 02.12.2025 में किये गये अनुमोदन उपरांत विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:-

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2025-26 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण  
(राशि रुपये में)

S.No	Faculty/ Name of Institute	Course Name	Proposed Fee by University	Fee Reviewed by Fee Review Committee		
				Tuition Fee (85%)	Development Fee & All other Miscellaneous fee (15%)	Total Fee
1	Business School	BBA	16,500	13175	2325	15500
		MBA FT	62,400	46325	8175	54500
		MBA(Logistics)	62,400	46325	8175	54500
2	Arts	BA (Journalism & Mass Communication)	11,500	8925	1575	10500
		MA	17,100	14025	2475	16500
		MSW	19,500	15300	2700	18000
		MJ	25,000	17000	3000	20000

// 02 //

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2025-26 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण  
(राशि रुपये में)

3	Medical	MBBS	2,000,000	1443300	254700	1698000
		MD/MS CLINICAL (General Surgery)	2,150,000	1522775	268725	1791500
		MD / MS (Dermatology, Venereology & Leprosy / Radio-diagnosis)	2,500,000	1794350	316650	2111000
		MD / MS (Obstetrics & Gynecology / General Medicine)	2,300,000	1613300	284700	1898000
		MD / MS (Pediatrics / Orthopedics / Ophthalmology / Otorhinolaryngology / Anesthesiology)	2,250,000	1585250	279750	1865000
		MD/MS (NON CLINICAL/PARA CLINICAL)	110,000	94350	16650	111000
		MD PATHOLOGY	1,050,000	732700	129300	862000
4	Dental	BDS	240,000	168300	29700	198000
		MDS	660,000	474300	83700	558000
5	Engineering	Diploma Engg	45,000	37400	6600	44000
		BE	60,000	48450	8550	57000
		M. TECH	72,000	60350	10650	71000
6	Pharmacy	D. Pharma	125,000	90525	15975	106500
		B. Pharma	80,000	57375	10125	67500
		M. Pharma	80,000	59925	10575	70500
7	Nursing	GNM	82,000	57375	10125	67500
		BSC NURSING	100,000	73100	12900	86000
		MSC NURSING	175,000	137275	24225	161500
		Post Basic B.Sc Nursing	78,000	51850	9150	61000
8	Computer Science	MCA	30,000	21420	3780	25200
		DCA	12,500	9350	1650	11000
		BCA	13,000	9350	1650	11000

// 03 //

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2025-26 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण  
(राशि रूपये में)

		PGDCA	19,000	14025	2475	16500
9	Agriculture	DIPLOMA AGRICULTURE	23,500	17000	3000	20000
		B Sc (Agriculture)	72,500	53125	9375	62500
		M Sc (Agriculture)	100,000	59500	10500	70000
10	Science	BSC	19,200	14025	2475	16500
		MSC	25,200	18275	3225	21500
11	Paramedical	Bachelor of Physiotherapy	40,800	30175	5325	35500
		Bachelor of Medical Lab Technician	46,200	34000	6000	40000
		Diploma In Medical lab Technician	36,000	26350	4650	31000
		Diploma In X-Ray	34,800	25500	4500	30000
		Diploma in Optometric Refraction	37,200	25500	4500	30000
		Diploma In Human Nutrition	35,040	25500	4500	30000
		PG (MMLT/MPT)	93,600	69275	12225	81500
		Diploma in Blood Transfusion	37,200	27455	4845	32300
		Bachelor of Human Nutrition	42,000	31025	5475	36500
		Diploma in Dialysis Technician	31,680	23375	4125	27500
		Diploma in Clinical Biochemistry	31,680	23375	4125	27500
		Diploma Pharmacy (Ayurved)	31,680	23375	4125	27500
		Diploma Pharmacy (Homeopathy)	31,680	23375	4125	27500
		Diploma in Yoga	31,680	23375	4125	27500
		Diploma in Naturopathy	31,680	23375	4125	27500
		Diploma in Anesthesia Technician	31,680	23375	4125	27500
		OT Technician	31,680	23375	4125	27500
		Health Inspector	31,680	23375	4125	27500

// 04 //

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2025-26 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण  
(राशि रुपये में)

		Diploma in Ophthalmic Assistant	31,680	23375	4125	27500
12	Commerce	B. Com	13,500	9350	1650	11000
		M. Com	21,000	17000	3000	20000
13	Library Science	B. Lib	14,000	9350	1650	11000
		M. Lib	16,000	11475	2025	13500
14	Law	LLB	43,000	31875	5625	37500
		BALLB(Hons)	43,000	31875	5625	37500
15	Homeopathy	BHMS	181,000	129200	22800	152000
		MD HOMEO	395,000	280500	49500	330000
16	Yoga	B. Sc	28,000	22100	3900	26000
		M. Sc	21,000	17000	3000	20000
		Diploma	9,000	6800	1200	8000
17	Fashion Designing	B. Sc	25,000	21250	3750	25000
		M. Sc	21,000	15725	2775	18500
		Diploma	16,000	12750	2250	15000
		BA Animation & Graphic	21,000	15725	2775	18500
18	Ayurvedic	BAMS	358,000	256700	45300	302000

उपरोक्त शुल्क समीक्षा विश्वविद्यालय के प्रस्ताव एवं उनके सनद लेखापाल द्वारा प्रमाणित अंकक्षित वित्तीय आकड़ों के आधार पर प्रावधिक रूप से की गई है।

1. उपरोक्त समीक्षित शुल्क के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद, एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियों सहित शुल्क सम्मिलित है। विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्तानुसार समीक्षित शुल्क के अतिरिक्त लिये जाने वाले अन्य शुल्क शिक्षा की लागत से अधिक नहीं होंगे एवं अन्य शुल्कों का लेखा भी पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
2. अनुमोदित शुल्क में से विकास शुल्क का लेखा पृथक से संधारित किया जाना अनिवार्य है। अधिनियम के प्रावधानानुसार विकास शुल्क की राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास में ही करना होगा एवं विकास शुल्क के उपयोग से संबंधित ब्यौरा पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

// 05 //

**विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2025-26 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण**

3. सत्र हेतु उपरोक्त प्रक्षेपित वित्तीय आंकड़ों एवं अंकेक्षित वित्तीय वास्तविक आंकड़ों की परस्पर तुलना कर आगामी वित्तीय वर्ष की शुल्क संरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा तथा पूर्व वित्तीय वर्ष के शुल्क में अंतर होने पर कारण स्पष्ट किया जायेगा।
4. यदि शिक्षण शुल्क की लागत में वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति किस प्रकार की जावेगी, यह स्पष्ट करना होगा। यदि शिक्षा की लागत में कमी होती है तो विद्यार्थियों से लिये गये अधिक शुल्क को अनिवार्यतः वापस करने हेतु संबंधित विश्वविद्यालय उत्तरदायी होगा।
5. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 28 एवं 29 के अंतर्गत पाठ्यक्रम संचालन के पूर्व अध्यादेशों के राजपत्र में प्रकाशन का प्रावधान विहित है। उपरोक्त सूची में सम्मिलित ऐसे पाठ्यक्रमों हेतु यह शुल्क आदेश लागू नहीं होगा जिन पाठ्यक्रमों के अध्यादेश म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित नहीं है।
6. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2016 की धारा 9(ख) के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालय के कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के पूर्व आयोग से अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रावधान है। यह शुल्क आदेश केवल विश्वविद्यालय द्वारा आयोग से धारा 9(क) एवं (ख) की अनुमति प्राप्त करके संचालित किये जा रहे पाठ्यक्रमों हेतु लागू होगा।
7. विनियामक परिषदों की अनुमति से विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों हेतु सत्र 2025-26 की अनुमति प्राप्त होने की स्थिति में शुल्क आदेश लागू होगा।

(अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. देवेन्द्र सिंह गुर्जर)  
सचिव

म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11/12/25

पृ. क्रमांक 348 / म.प्र.नि.वि.वि.वि.आ / 2025

प्रतिलिपि-

1. निज सहायक के माध्यम से अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
2. कुलपति, संबंधित विश्वविद्यालय, म.प्र.।
3. छात्रवृत्ति शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
4. आई.टी. शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
5. गार्ड फाईल।

..... की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं सूचनार्थ।

सचिव

म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल